न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 177 / 2023

प्रार्थीगणः–

1. आत्माराम
2. शिवलाल
3. सम्पतराज पिसरान पन्नालाल जाति माली निवासीगण बागेलाव की पाल, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. पन्नालाल पुत्र जसाराम जाति माली निवासी बागेलाव की पाल सोजत सिटी तह0 सोजत जिला–पाली।
2. राजु पुत्र रामलाल
3. श्यामलाल पुत्र रामलाल
4. कौशल्या देवी पत्नी केवलचन्द
5. ममता पुत्री केवलचन्द
6. दिनेश पुत्र केवलचन्द जातिगण माली निवासीगण हायर सैकेण्डरी स्कूल रोड, पंचायत समिति के पास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
7. उषा देवी पुत्री केवलचन्द पत्नी रामलाल जाति माली निवासी मालियों का चौक, नयापुरा सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
8. मंजू देवी पुत्री केवलचन्द पत्नी राजुराम जाति माली निवासी अटपड़ा तह0 सोजत पाली।
9. सोनु पुत्री केवलचन्द पत्नी अर्जुन जाति माली निवासी नाथों की प्याऊ, सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
10. लीला देवी पत्नी मोहनलाल
11. अर्जुन पुत्र मोहनलाल
12. महेन्द्र पुत्र मोहनलाल जातिगण माली निवासीगण बागेलाव की पाल सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
13. उमा पुत्री मोहनलाल पत्नी सुरेश सांखला जाति माली निवासी बेरा कमेड़ा बाग, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
14. दीपा पुत्री मोहनलाल पत्नी महेन्द्र कुमार जाति माली निवासी पाली रोड़, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
15. गीतु पुत्री मोहनलाल पत्नी पिन्टू जातिगण माली निवासीगण बेरा लच्छबा का आट, सरदारपुरा रोड़, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
16. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत
17. उप पंजीयन अधिकारी, सोजत तह0 सोजत।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे, श्री कुन्दनमल अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक : – 29/07/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार तह0 सोजत में प्रार्थीगण के दादा जसाराम पुत्र गंगाराम की खातेदारी हक हकूक की भूमि खसरा नंबर 3932 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 3933 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 3949 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 4132 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 4142 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 4163 रकबा 0.1400 है0, खसरा नंबर 4170 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 4276 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 4277 रकबा 0.2100 है0 कुल खसरा 09 कुल रकबा 0.8400 है0 की आयी हुई स्थित हैं, जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2062–2065 में जसाराम पुत्र गंगाराम से इन्द्राजसुदा थी। उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं0 1 से 15 के नाम विधि विरूद्ध इन्द्राजसुदा हैं। प्रार्थीगण के दादा का निर्वसीयती स्वर्गवास हो चुका हैं। जिनके उत्तराधिकारी वारिसान में उनकी पत्नी भोली देवी हुई, जिनका भी स्वर्गवास हो चुका हैं। स्व0 जसाराम के तीन पुत्र रामलाल, पन्नालाल एवं मोहनलाल तथा एक पुत्री पारी देवी हुई। जिनमें से रामलाल का भी स्वर्गवास हो चुका हैं, जिनके उत्तराधिकारी वारिसान में चार पुत्र केवलचन्द, राजु, श्याम, प्रकाश हुए, जिनमें से केवलचन्द का स्वर्गवास हो चुका हैं, जिनके उत्तराधिकारी वारिसान दिनेश, उंषा, मंजु, सोनू है व इसी प्रकार स्व0 जसाराम के पुत्र मोहनलाल का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उत्तराधिकारी वारिसान में अर्जुन, महेन्द्र, उमा, दीपा, नीतु, लीला हैं तथा पन्नालाल जी प्रार्थीगण के जाईन्दा पिता हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण तमाम संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। लेकिन प्रार्थीगण के पिता पन्नालाल एवं उनके अन्य भाईयों द्वारा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं करवा कर अपने अकेले के नाम विधि विरूद्ध इन्द्राज करवा दिया इतना ही नही प्रार्थीगण के बड़े पिता रामलाल, मोहनलाल की नियत बद्ध हो चुकी थी व वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से को हड़प करने की नियत बद्ध हो चुकी थी व वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से को हडप करने की नियत रखते थे, लेकिन मात्र राजस्व रेकर्ड में जसाराम के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात रामलाल एवं मोहनलाल की नियत बद्ध हो जाने से भोली देवी, पारी की वृद्धावस्था, अनपढ एवं राजस्व रेकर्ड के दस्तावेज की जानकारी नहीं होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने ही पुत्र श्यामलाल एवं एक अन्य परिचित मदनलाल घांची के साख डलवा कर बाले बाले व प्रार्थीगण से पारिवारिक रंजिश वश उनके हक हिस्से को हड़प करने के आशय से स्व0 रामलाल एवं मोहनलाल ने संपूर्ण भूमि का हकतर्कनामा अपने पक्ष में पंजीयन करवा दिया जबकि उक्त हकतर्कनामा से पूर्व ही मौके पर प्रार्थीगण एवं उनके पिता पन्नालाल, रामलाल, मोहनलाल का मौके पर बहिस्सा बराबर बराबर काबिज काश्त रहा। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी प्रार्थीगण के हक हिस्से को मानने से इंकार कर दिया तथा अप्रार्थीगण तमाम राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध इन्द्राज के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक हिस्से को हड़प करना चाहते है तथा वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के आधार पर वादस्थ भूमि का बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये विशिष्ट भू भाग का अन्यत्र बेचान, अन्तरण करने को आमादा है साथ ही प्रार्थीगण के हक हिस्से एवं कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने पर उतारू है जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। यदि अप्रार्थीगण उक्त विधि विरूद्ध कार्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी भूमि में प्राप्त हक हिस्से से महरूम हो जावेगा। जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयो में नहीं आका जा सकेगा इसलिये अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार वाद पत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रार्थीया का उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि का का अप्रार्थीगण, राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के आधार पर अन्यत्र, बेचान, अन्तरण न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे प्रार्थीया के हक हिस्से कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण के वादस्थ भूमि से बेदखल न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे तथा अप्रार्थीगण संख्या 16 वादस्थ भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी संख्या 17 वादस्थ भूमि के बेचान, अन्तरण का दस्तावेज पंजीयन नहीं करने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। दिनांक 15.04.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 व 17 बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजें दिलाई जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 1 द्वारा आज तक वकालतनामा पेश नहीं करने से वकालतनामा का अवसर समाप्त कर अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 वकुलाय सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार तह0 सोजत में प्रार्थीगण के दादा जसाराम पुत्र गंगाराम की खातेदारी हक हकूक की भूमि खसरा नंबर 3932 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 3933 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 3949 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 4132 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 4142 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 4163 रकबा 0.1400 है0, खसरा नंबर 4170 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 4276 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 4277 रकबा 0.2100 है0 कुल खसरा 09 कुल रकबा 0.8400 है0 की कृषि भूमि का अन्यत्र बेचान, रहन, हस्तान्तरण, बक्सीस इत्यादि न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करवाये जाने हेतु अप्रार्थीगण को वादस्थ भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक होना प्रथम दृष्टया पाया जाता हैं, जिससे अप्रार्थीगण को वाद निर्णय तक रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित समझते हैं।

—::आदेश::—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का इस आशय का स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार तह0 सोजत में प्रार्थीगण के दादा जसाराम पुत्र गंगाराम की खातेदारी हक हकूक की भूमि खसरा नंबर 3932 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 3933 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 3949 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 4132 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 4142 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 4163 रकबा 0.1400 है0, खसरा नंबर 4170 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 4276 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 4277 रकबा 0.2100 है0 कुल खसरा 09 कुल रकबा 0.8400 है0 भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम है। बाद तकमील जाब्ता मूलवाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 24/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, सोजत